ग्रामीण विकास योजनाएं और अनुसूचित जातियों की महिलाओं का पारिवारिक संरचना एवं विकास

सुभाष कुमार
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांश

विकास एक व्यक्तिपरक एवं मूल्य आधारित संकल्पना है। ग्रामीण विकास ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर सुधारने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की समग्र विकास को प्रदर्शित करता है इसमें कृषि और सहायक गतिविधियाँ, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग और शिल्पकारी, सामाजिक आर्थिक आधो–संरचना सामुदायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ और इन सभी से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाधनों का विकास सम्मिलित है। ग्रामीण विकास योजनाओं के तात्पर्यऐसे विकास योजनाओं से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लिए के चलाये जा रहे विभिन्न योजनाएँ से हैं जिसमें, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने ग्रामीण विकास के लिए विकास के मार्ग खोले हैं, इन योजनाओं से महिलाओं का विकास हुआ है और उसमें खासकर अनुसूचित जातियों की महिलाओं का विकास हुआ।अधिनियम 1935 के अनुसार अनुसूचित जातियों को मान्यता प्रदान की गई। अर्थात् ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के विकास के साथ उनके पारिवारिक संरचना में भी परिवर्तन हुए हैं इन परिवर्तनों को ज्ञात किया जायेगा कि उनका स्वरूप कैसे बदल रहा हैं।

प्रस्तावना :–

ग्रामीण विकास बहुआयामी प्रक्रिया है जो गांवों के विभिन्न क्षेत्र से जुड़ा है ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसके माध्यमोंमें मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाला पहला कार्यक्रम है जो 2005 में संचालित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह ग्रामीण क्षेत्रों का स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है जिसका प्रभाव महिलाओं के परिवार एवं उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। इनका निर्माण केन्द्र सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 में किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लोगों के रहन–सहन और स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर सुधार स्वतंत्रता के बाद से ही प्राथमिकता का विषय रहा है। इसी के साथ जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यक्रम का भी महती भूमिका है जो महिलाओं के पारिवारिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार के अति महत्वपूर्ण निर्वहन किया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर सामान्य बीमारी के इलाज के लिए दवाई किट के साथ प्रशिक्षित सामुदायिक स्तरीय कार्यकर्ता की उपलब्धता का व्यवस्था करना। प्रत्येक महीनें में आँगनबाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करना ताकि प्रतिरक्षण, बच्चे के जन्म पूर्व या उसके पश्चात् जाँच के लिए माता व शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा एवं पोषाहार आदि की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकें। सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर निश्चित रूप से डॉक्टर, दवा एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा के साथ अच्छे अस्पताल की सेवा उपलब्ध करना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत रेफरल, परिवहन व रक्षक सुविधा के साथ उन्नत संस्थागत प्रसव की व्यवस्था एवं कम मूल्यपर उचित अस्पताल सुविधा की उपलब्धता इसके साथ अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है।

अध्ययन की समस्या :–

अनुसूचित जातियों की महिलाओं का परिवार संरचना में परिवर्तन हो रहा है, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभाव परिवार पड़ा। उसके उपरान्त परिवार पर के विकास के स्वरूप जानना है, कि परिवार के संरचना में परिवर्तन किस प्रकार हुआ है और ग्रामीण विकास योजनाओं का अनुसूचित जातियों के महिलाओं के परिवार के संरचना पर क्या–क्या परिवर्तन हुआ है।

उद्देश्य :–

1. ग्रामीण विकास योजनाओं से महिलाओं के पारिवारिक संरचना में परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मनरेगा के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करना।

3. ग्रामीण विकास योजनाओं का अनुसूचित जातियों के महिलाओं के परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।

आधारणात्मक व्याख्या :–

ग्रामीण विकास योजनाएँ :–

ग्रामीण विकास योजनाओं से सीधा तात्पर्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत के रखते हैं।

अनुसूचित जातियों की महिलाएँ :–

अनुसूचित जातियों से तात्पर्य ऐसे वर्ग या समूह से जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप पिछड़े हुए हैं संविधान के अधिनियम 1935 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को मान्यता प्रदान की गई है।

परिवार :–

परिवार एक ऐसी संस्था है जो घर के कई सदस्य साथ–साथ निवास करते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं, जैसे संयुक्त परिवार एवं एकांकी परिवार।

अध्ययन क्षेत्र :–

प्रस्तुत शोध–पत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मंगरौरा विकासखण्ड के रामापुर ग्राम सभा के रामापुर गाँव का चयन किया गया है।

समग्र एवं न्यायदर्श का चयन :–

प्रस्तुत अध्याय 25 ईकाइयों का चयन सरल दैव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है तथा तथ्य संकलन के लिए अवलोकन एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन पद्धति :–

प्रस्तुत अध्ययन पद्धति अन्वेषणात्मक एवं सह वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत :–

प्रस्तुत शोध–पत्र को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं दैतीयक दोनों स्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

तथ्य संकलन का उपकरण एवं विधि :–

प्रस्तुत शोध–पत्र में तथ्य संकलन के लिए अनूसूची तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।

वर्गीकरण सारणीयन एवं विश्लेषण :–

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण वह सारणीबद्ध किया गया है तथा सारणी के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में सारणीवार तथ्यों की विवेचना निष्कर्ष सहित इस प्रकार है।

महिलाओं के आयु के आधार पर स्थिति

सारणी संख्या 1.1

प्रत्युत्तर (वर्षों में)	आवृत्ति	प्रतिशत
18–25	6	24.00
26–30	3	12.00
31–40	10	40.00
51 से ऊपर	4	16.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 40.00 प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत उत्तरदाताओं 30 से 40 वर्ष आये एवं 24 प्रतिशत उत्तरदाता 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग से सम्बन्धित है। स्पष्टतः पाया गया कि ज्यादातर उत्तरदाताएँ 30 से 40 वर्ष के हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रति महिलाओं में जागरूकता

सारणीी संख्या 1.2

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	18	72.00
नहीं	7	25.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 72.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी है और 28.00 प्रतिशत महिलाओं को इस मिशन के विषय में जानकारी नहीं है।

अतः यदि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के महिलाओं में जागरूकता के विषय में देखें तो ज्यादातर महिलाओं को जानकारी हो रही है इससे यह प्रतीत होता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है।

जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत महिलाओं प्राप्त लाभ

सारणी संख्या 1.3

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	23	92.00
नहीं	2	8.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होगा कि सर्वाधिक 92.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उन्हें इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है। और 8.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होता है वे किसी निजी अस्पताल से सेवा प्राप्त करती है या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाती ही नहीं है।

अतः सामान्यतः पाया गया कि ज्यादातर महिलाओं के स्वास्थ्य में परिवर्तन हो रहा है। इस मिशन एवं इससे जुड़े कई और योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला लाभ

सारणी संख्या– 1.5

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	23	92.00
नहीं	2	8.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि 92.00 प्रतिशत महिलाओं को लाभ प्राप्त हो रहा है और 8.00 प्रतिशत महिलाओं को लाभ नहीं प्राप्त होता है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा ज्यादातर महिलाओं को लाभ हुआ इससे यह प्रतीत होता है कि महिलाओं का विकास हो रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जानकारी

सारणी संख्या– 1.6

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	80.00
नहीं	5	20.00
योग	**25**	100.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 80.00 प्रतिशत महिलाओं से जानकारी प्राप्त हुईकि उनको खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी है और 20.00 प्रतिशत महिलाओं में जानकारी का अभाव है।

अतः जैसा प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आकड़ों से प्रतीत होता है कि ग्रामीण विकास हो रहा है और महिलाओं में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी है।

मनरेगा से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के आधार पर

सारणी संख्या 1.7

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	15	60.00
नहीं	6	27.00
कह नहीं सकते	4	16.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि 60.00 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि मनरेगा से उनकी परिवारिक स्थिति बदली है 54.00 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनके परिवार पर प्रभाव नहीं पड़ा है। 16.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि वे कह नहीं सकती कि उनके परिवार पर मनरेगा का प्रभाव पड़ा है कि नहीं।

अतः परिणामतः देखें तो मनरेगा में महिला सशक्तिकरण में काफी सहायता प्रदान कर रहा है।

मनरेगा में प्रदान की जाने वाली सुविधा प्राप्त होने के आधार पर

सारणी संख्या 1.8

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	80.00
नहीं	5	20.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत प्राथमिक –

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 80.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि सुविधा प्राप्त हो रही है और 20.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उन्हें मिलने वाली सुविधा नहीं मिलती किसी वजह से।

अतः मनरेगा में सुविधा के अनुसार ज्यादातर महिला को इसका लाभ मिल रहा है।

मनरेगा में समस्या के आधार

सारणी संख्या : 1.9

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	16	64.00
नहीं	09	36.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत : प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 64.00 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार मनरेगा में समस्या विद्यमान,जबकि वही 36.00 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार कोई समस्या नहीं होती है।

जैसा प्राथमिक आंकड़ों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर महिलाओं में मनरेगा में विभिन्न समस्या है। अर्थात् आज भी मनरेगा में सुधार की कहीं न कहीं जरूरत है।

अतः मनरेगा में कार्य के दौरान भेदभाव

सारणी संख्या 1.10

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	15	60.00
नहीं	10	40.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत : प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 60.00 प्रतिशत महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। वहीं पर 40.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि आज भी उनके साथ कही न कही भेदभााव होता है।

अतः मनरेगा में कार्यों के दौरान महिलाओं के बातचीत से निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण हुआ और आगे हो भी रहा है।

आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के आधार पर

सारणी संख्या 1.11

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	80.00
नहीं	5	20.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत : प्राथमिक

उपर्युक्त आँकड़े से स्पष्ट है की 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध है वहाँ 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार आवास का आभाव पाया गया।

अतः ज्यादातर लोगों को आवास प्राप्त हुए हैं जिससे उनका पारिवारिक स्वरूप में बदलाव हुआ है।

बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होने के आधार पर

सारणी संख्या 1.12

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	22	88.00
नहीं	3	12.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत : प्राथमिक

उपर्युक्त आँकड़े से स्पष्ट है की 88.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उनके बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है वहाँ 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को किसी कारण से छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है।

अतः ज्यादातर लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध हो रही है जिससे उनका पारिवारिक शिक्षा में वृद्धि हो रही है।

निष्कर्ष :–

ग्रामीण विकास एक सार्वभौतिक प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजना के द्वारा विकास का प्रयास किये जा रहे हैं।ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रकाश डाले तो प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों की महिलाओं के परिवार में परिवर्तन हो रहा है और वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त हुई है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हुए हैं, साथ ही उनके परिवारिक संरचना में भी मूलभूत बदलाव हुए हैं मनरेगा रोजगार के क्षेत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जीविकापार्जन के लिए परिवार को संचालित अति महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन किया है। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आकड़े से प्रतीत हो रहा है कि महिलाओं के पारिवारिक संरचना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। उनके रहन–सहन, खान पान के तौर तरीके में भी बदलाव होरहे हैं, उनके बच्चों में जागरूकता बढ़ी है वे भी शिक्षा के प्रति सचेत हुयी हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा जो भी प्रयास किये गये है, जो सराहनीय है। प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ तौर पर विकास को देखा जा सकता है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास को देखें तो योजनाओं का प्रभाव पड़ा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया मेंदेखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा का अभाव है। जिस तरीके से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी सुधार होना चाहिए वह संतोषजनक नही है। परन्तु फिर भी योजनाओं से महिलाओं के परिवार में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मिलने वाली सुविधा एवं मनरेगा रोजगार के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम उनके जीवन यापन में भी योगदान दिया। जिससे महिलाओं के परिवार में बदलाव हुआ अर्थात् ग्रामीण विकास योजनाओं ने भी पारिवारिक बदलाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन

किया है, महिलाओं के परिवार में हुए परिवर्तन सकारात्मक है, जैसा प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोत के आँकड़ों से पाया गया है कि बदलाव के दौर शुरू हो गया कि महिलाओं में, जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. ओझा सीमा, 2009, भारत, प्रकाश विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. ओझा, एन0एन0,नवम्बर 2017, अंक, 4, ''भारत योजना 2009'', क्रॉनिकल, क्रानिकल पब्लिकेशन प्रा0लि0 नई दिल्ली।
3. तिवारी, जयकान्त, 2003, ''भारत का समाजशास्त्र'', अवध पब्लिशिंग हाऊस, लखनऊ।
4. पाण्डेय अनुराधा, 2010, महिला सशक्तिकरण, इशिका पब्लिकेशन हाऊस, जयपुर।
5. प्रीति, राजकुमार, देवी रामेश्वरी परूथी रोमिला, 2003 ''इण्डियन ओमेन प्रेजेण्ट स्टेटस एण्ड फ्यूचर प्रस्पेक्ट्स'' मंगलदीप पब्लिकेशन्स, जयपुर।
6. आशुतोष कुमार सिंह, (दिसम्बर 2015) ''बदलते गाँव, उभरता भारत'', कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
7. पाण्डेय जितेन्द्र कुमार, फरवरी 2016, ''सार्वजनिक स्वास्थ्य : समस्याएं एवं समाधान'' योजना प्रकाशन, विभाग नई दिल्ली।
8. शर्मा, सुभाष, फरवरी 2016, ''सबका स्वास्थ्य : महत्त्वपूर्ण वैश्विक परिदृश्य'' प्रकाशन विभाग नई दिल्ली।
9. टी0 सुदर रामन (फरवरी 2016) ''भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र : दृष्टिकोण और भावी रूपरेखा, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2011 ''एनुअल रिपोर्ट द पीपुल ऑन हेल्थ (दिसम्बर 2011) : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 का मसौदा, नई दिल्ली।
12. डब्ल्यू एच ओ0 असंक्रामक रोगों पर वैश्विक स्थिति, 2014, जिनेवा।
13. वार्षिक प्रतिवेदन (2007–08) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
14. हिन्दुस्तान समाचार पत्र 23 सितम्बर 2015।
15. जनगणना 2011 (2016) भारत की साक्षरता दर।
16. कुमार, उमेश : 'ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजनाओं पर एक नजर' कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 12, अक्टूबर 2014।
17. यादव, ब्रह्मप्रकाश : 'ग्रामीण भारत में रोजगार का बदलता स्वरूप', कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, अंक 12, अक्टूबर 2014।
18. कोटवे, मधुकर : 'गांवों से पलायन का बदलता स्वरूप', कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 11, सितम्बर 2014।
19. कुमारी, सविता : 'गाँवों के सर्वांगीण विकास पर जोर', कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, अंक 06, अप्रैल 2015।
20. सिंह, आशुतोष कुमार : 'बदलते गांव, उभरता गांव', कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 02, दिसम्बर 2015।
21. सिंह, रहीस : 'गाँव को चाहिए एक सुदृढ़ वित्तीय ढांचा', कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 02, दिसम्बर 2016।
22. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, मनरेगा का समीक्षा रिपोर्ट 2006–2012।
23. Dreze. J. and R. Khera : "The Buttle for Employment Gurantee", Oxford University Press, New Delhi, 2011.
24. M. Shah : "Employment Guarantee Civil Society and Indian Democracy", Economic and Political Weekly) Vol. 42, Nov.2007.
25. www. narega.nic.in
26. NSSO. Survey of MANREGA 2010-11.